


26/8/19

पत्रावली दिनांक 23.8.2019 से 25.8.2019 तक अवकाश होने पर आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित। चूंकि मूलवाद खारिज हो गया है, ऐसी सूरत में आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

